

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1473 / 2011 / उदयपुर.

2. अपील संख्या – 1885 / 2012 / उदयपुर.

मैसर्स महावीर ट्रेडिंग कम्पनी,
मेवाड़ इण्डस्ट्रियल एरिया, मादड़ी, उदयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, उदयपुर.
2. सहायक आयुक्त / वाणिज्यिक कर अधिकारी,
विशेष वृत्त, उदयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 19 / 01 / 2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 12/वेट/10-11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 15.04.2011 एवं 16/वेट/11-12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 04.06.2012 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, उदयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी की आलौच्य अवधियों के लिये अधिनियम की धारा 23, 24, 55 व 58 के तहत पारित किये गये आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किया है।

2. दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तहत संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी जिन्होंने स्वयं को खननकर्ता एवं मार्बल प्रोसेसर्स के रूप में अधिनियम के तहत पंजीकृत करवाया हुआ है। उनके द्वारा आवंटित खानों से मार्बल ब्लॉक का खनन किया जाकर उसका विक्रय किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा मार्बल का खनन करने के पश्चात् बड़े ब्लॉक्स को काटकर उन्हें छोटे ब्लॉक्स के रूप में विक्रय किया

लगातार.....2

जाता है। व्यवहारी द्वारा मार्बल की माईनिंग के दौरान प्रयुक्त मशीनों एवं उनके कन्ज्यूमेबल आईटम्स की खरीद पर चुकाये गये कर का आगत कर के रूप में क्लेम किया गया था, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि व्यवहारी का केवल माईनिंग का कार्य है, अतः माईनिंग के लिये केपिटल गुड्स पर क्लेम की गई आई.टी.सी. का लाभ नहीं दिया गया एवं देय कर अदेय रहने के कारण ब्याज का आरोपण किया गया। साथ ही आलौच्य अवधि के बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से पेश किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति भी आरोपित की गयी, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

अपील संख्या	क.नि.आ. दिनांक	अवधि	आरोपित		
			अस्वीकृत I.T.C.	ब्याज	शास्ति u/s 58
1473/11	12.03.2010	2007-08	15,40,787	4,76,356	620
1885/12	14.02.2011	2008-09	16,72,220	5,79,524	1540

4. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें अपीलीय अधिकारी के आदेशों से अपास्त करते हुए कर निर्धारण आदेशों की पुष्टि की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने अपने निर्णयों में समस्त व्यावसायिक गतिविधियों का परीक्षण करते हुए यह निष्कर्ष अंकित किया है कि व्यवसायी केवल माईनिंग का ही कार्य करते हैं तथा व्यवसायी द्वारा किसी भी प्रकार की मशीनरी ऐसे प्रोसेसिंग कार्य के लिये नहीं खरीदी गयी है जिससे कोई निर्माण कार्य किया जाता है बल्कि खरीदे गये समस्त केपिटल गुड्स एवं कन्ज्यूमेबल केवल खनन कार्य के लिये ही उपयोग में लाये गये हैं। इस तरह केपिटल गुड्स एवं कन्ज्यूमेबल गुड्स निर्माण में प्रयुक्त नहीं होने से तथा खनन के लिये प्रयुक्त मशीनरी पर आई.टी.सी. अधिनियम की धारा 18(1) के तहत देय नहीं होने से अपीलार्थी के क्लेम को अविधिक मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को विधिसम्मत माना है। उक्त अपीलीय आदेशों के विरुद्ध ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

5. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उनके द्वारा केपिटल गुड्स पर जो आई.टी.सी. क्लेम किया गया था वह कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस आधार पर अस्वीकार किया गया है कि अपीलार्थी का कार्य निर्माण कार्य की परिभाषा में सम्मिलित योग्य नहीं है बल्कि उनका केपिटल गुड्स केवल माईनिंग के लिये ही खरीद किया गया है। कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने वर्ष 2008-09 के आदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय के बहराघाट मिनरल इण्डस्ट्रीज (2000)

120 एस.टी.सी. 205 में निर्णय दिनांक 29.12.2009 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी के कार्य को निर्माण कार्य नहीं माना है वह अनुचित है क्योंकि उक्त निर्णय "Crushing of dolomite lumps into chips and powder" पर दिया गया निर्णय था। यह निर्णय मध्यप्रदेश विक्रय कर अधिनियम की परिभाषा के अनुसार दिया गया था जिसमें Manufacturing includes any process or manner or producing, collecting, extracting, preparing or making any goods था जबकि राजस्थान में Manufacture की परिभाषा अधिनियम की धारा 2(22) के अनुसार निम्न है :-

Sec. 2. Definitions.-

(22) "manufacture" includes every processing of goods which brings into existence a commercially different and distinct commodity but shall not include such processing as may be notified by the State Government;

6. इसके अलावा यह भी कथन किया कि आयकर अधिनियम की धारा 80HHC के तहत भी यह स्पष्ट किया गया है कि यदि Marble blocks, slabs, luffer processed or dressed करके निर्यात किया जाता है तो ऐसे उद्योग को आयकर से मुक्त किया गया है।

7. विद्वान अभिभाषक ने अपील आधारों के साथ यह कथन किया कि उनके माईनिंग के लिये जो माईन मशीनरी जैसे कि एक्सकेवेटर, लोडर्स, टिप्सर्स, वायरशॉ मशीन, चैनशॉ मशीनें खरीदी गयी है, उस पर उनका बहुत बड़ा विनियोजन किया गया है जो कि उत्खनन कार्य के प्रोसेस के लिये किया गया है। उत्खनन के बाद ब्लॉक्स को मशीनों से ड्रेस एवं साईज में किया जाकर विक्रय किया जाता है अतः उनका कार्य एक उद्योग है एवं इसलिए इसको विनिर्माण माना जाना चाहिये क्योंकि जो मार्बल ब्लॉक्स खानों से निकाले जाते हैं उनको वायरशॉ मशीनों से फिनिश करके उनको मार्बल ब्लॉक के रूप में बेचा जाता है अतः इसको मैन्यूफैक्चर एवं यह विनिर्माण प्रक्रिया से प्राप्त माल का विक्रय होने से इस मशीनरी पर आई.टी.सी. देय है। इसके साथ ही अपने आधारों में फोटोग्राफ्स भी दिये गये हैं। यह बताया कि ड्रिलिंग से ब्लॉक निकाले जाते हैं फिर उनको खानों से निकालने के पश्चात् ब्लॉक के रूप में वायरशॉ से कटिंग की जाती है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का माल विनिर्मित होता है एवं यह different and distinct commodity अस्तित्व में आती है जबकि बहराघाट मिनरल इण्डस्ट्रीज के उक्त माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश में नई वस्तु अस्तित्व में नहीं आ रही थी।




लगातार.....4

8. अपीलार्थी की ओर से दिये गये अपील आधारों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम गिरोटा सिलिका उद्योग 93 STD 280 का हवाला दिया गया जिसमें "Excavation of silica - sand lumps - colour removed and lumps ground - Mineral thereafter screened and graded - sale thereafter to various industries - process is manufacture" ऐसे विक्रय को मैन्यूफैक्चर का प्रोसेस बताया है। इसी तरह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम बोहरीलाल जैन एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम खटाणा स्टोन प्रा0 लिमिटेड 22 टैक्स अपडेट 134 का हवाला देते हुए अपीलार्थी के कार्य को विनिर्माण कार्य होने का अभिमत समर्थित होना बताया गया। यह भी कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न ग्राइंडिंग यूनिट्स को एवं ऐसे सभी यूनिट्स को मैन्यूफैक्चरिंग मानते हुए राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 के तहत करदेयता को स्थानान्तरित किये जाने के लिये अधिकृत किया गया है एवं उनको प्रोत्साहन योजना का लाभ दिया गया है।

9. अन्त में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश जैम ग्राइंडिंग बनाम सी. आई.टी. (2004) 141 टैक्समैन 528 का हवाला दिया जिसमें इन्कम टैक्स एक्ट के तहत माईनिंग से निकाले हुए माल को कटिंग एवं पॉलिशिंग करने के बाद एक्सपोर्ट करने पर कर से मुक्ति प्रदान करने का निर्णय दिया गया था। विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि उनकी इकाई को एक औद्योगिक इकाई मानते हुए एवं उसके कार्य को विनिर्माण की प्रक्रिया मानते हुए आई.टी.सी. का क्लेम दिया जाना विधिक अनिवार्यता है अतः अपीलें स्वीकार कर कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेशों को निरस्त करने का निवेदन किया।

10. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अतिरिक्त आधार जो वर्ष 2007-08 के मामले में प्रस्तुत किये गये हैं, उसमें यह कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा कैपिटल गुड्स के अलावा जो माल अन्य व्यवसायियों से खरीद किया गया था वह वेट का भुगतान करके किया गया था एवं उसे पुनः विक्रय किया गया था, उस पर आई.टी.सी. दिये जाने में कोई विवाद नहीं था। इसी तरह पैकिंग मैटेरियल पर भी आई.टी.सी. नहीं दी गयी अतः इन पर आई.टी.सी. दिये जाने का अनुरोध करते हुए यह भी बताया गया है कि अपीलार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष संशोधन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था, अतः उस माल पर आई.टी.सी. दिये जाने का भी अनुरोध किया। प्रस्तुत अतिरिक्त आधारों में वर्ष 2008-09 में की गई खरीद की सूची भी पेश की है जिसमें पैकिंग मैटेरियल एवं सोपस्टोन की खरीद अंकित की है।




11. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी का आदेश पूर्णतया विधिसम्मत आदेश है एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि माईनिंग के कार्य के लिये खरीदे गये प्लांट एवं मशीनरी पर आई.टी.सी. का क्लेम केपिटल गुड्स के रूप में अनुमत नहीं है। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी का कार्य मुख्यतया खनन कार्य है और खनन कार्य के लिये ही समस्त मशीनें खरीदी गयी हैं एवं खनन कार्य के लिये आवश्यक मशीनरी, कलपुर्जे एवं कन्ज्यूमेबल्स पर आई.टी.सी. का क्लेम किया है जबकि अधिनियम की धारा 18 के तहत उन्हीं केपिटल गुड्स पर आई.टी.सी. दिये जाने का प्रावधान है जो विनिर्माण प्रक्रिया में काम में आती है। चूंकि विनिर्माण की परिभाषा में केवल वे ही उत्पाद सम्मिलित हैं जो कि अधिनियम की धारा 2(22) की प्रक्रिया अनुसार प्राप्त होते हैं। कथन किया कि अपीलार्थी फर्म द्वारा किसी भी तरह का माल का निर्माण नहीं किया जाता बल्कि केवल खानों से प्राप्त ब्लॉक्स निकालकर उनको ट्रांसपोर्टेबल करने के लिये छोटे ब्लॉक्स में काटकर पुनः ब्लॉक के रूप में ही विक्रय किया जाता है। अतः किसी भी तरह का विनिर्माण कार्य नहीं किये जाने से केपिटल गुड्स के रूप में आई.टी.सी. का क्लेम देय नहीं है। इस आधार पर अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार योग्य हैं।

12. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

13. प्रकरण में विवाद के बिन्दुओं का संक्षेप में उल्लेख निम्नांकित किया जाता है :-

(1) अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जो मशीनरी एवं कन्ज्यूमेबल गुड्स खरीदे गये हैं क्या वे विनिर्माण प्रक्रिया में उपयोग हेतु खरीदे गये हैं अथवा केवल माईनिंग के कार्य के लिये खरीदे गये हैं।

(2) अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उत्खनन के जरिये जो माल बड़े ब्लॉक के रूप में निकालकर उसे ड्रेसिंग करके छोटे ब्लॉक के रूप में विक्रय किया जाना विनिर्माण की परिभाषा में सम्मिलित योग्य है अथवा नहीं।

14. इस बिन्दु के निस्तारण के लिये अधिनियम की धारा 18(1) का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :-

लगातार.....6




18. Input Tax Credit. –

(1) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub-section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of –

- (a) sale within the State of Rajasthan; or
- (b) sale in the course of inter-State trade and commerce; or
- (c) sale in the course of export outside the territory of India; or
- (d) being used as packing material of the goods, other than exempted goods, for sale; or
- (e) being used as raw material, except those as may be notified by the State Government, in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State or in the course of inter-State trade or commerce; or
- (f) being used as packing material of goods or as raw material in manufacture of goods for sale in the course of export outside the territory of India; or
- (g) being used in the State as capital goods; however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section.

(2) The claim of input tax credit shall be allowed on the tax deposited on the basis of original VAT invoice within three months from the date of issuance of such invoice. However, claim of input tax credit of the additional tax deposited may be allowed on the basis of VAT invoice which has been issued subsequently in compliance with the decision of any competent court or authority, showing the tax at higher rate. If the first original VAT invoice is lost, input tax credit may be allowed on the basis of a duplicate copy thereof, subject to such conditions as may be prescribed.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act, no input tax credit shall be allowed on the purchases –

- (i) from a registered dealer who is liable to pay tax under sub-section (2) of section 3 or who has opted to pay tax under section 5 of this Act; or
- (ii) of goods made in the course of import from outside the State; or
- (iii) where the original VAT invoice or duplicate copy thereof is not available with the claimant, or there is evidence that the same has not been issued by the selling registered dealer from whom the goods are purported to have been purchased; or




लगातार.....7

(iv) of goods where invoice does not show the amount of tax separately; or

(v) where the purchasing dealer fails to prove the genuineness of the purchase transaction, on being asked to do so by an officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorised by the Commissioner.

15. उक्त प्रावधान अनुसार अपीलार्थी के सन्दर्भ में आई.टी.सी. का क्लेम कच्चा माल, पैकिंग मैटेरियल एवं केपिटल गुड्स से है। अपीलार्थी के क्लेम का मुख्य आधार यह है कि उनका कार्य विनिर्माण की परिभाषा में आता है अतः केपिटल गुड्स पर आई.टी.सी. क्लेम दिया जाना विधिक रूप से अनिवार्य है। केपिटल गुड्स की परिभाषा निम्न प्रकार है :-

Sec. 2. Definitions.-

(22) "**capital goods**" means plant and machinery including parts and accessories thereof, meant for use in manufacture unless otherwise notified by the State Government from time to time in the Official Gazette;

16. उक्त परिभाषा अनुसार केपिटल गुड्स वे हैं जो विनिर्माण में उपयोग में आते हैं अतः प्रथमतः यह तय करना आवश्यक है कि क्या अपीलार्थी किसी निर्माण का कार्य कर रहे हैं। इस जांच के पहले विनिर्माण की परिभाषा का उल्लेख पुनः आवश्यक है जो निम्नांकित है :-

(22) "**manufacture**" includes every processing of goods which brings into existence a commercially different and distinct commodity but shall not include such processing as may be notified by the State Government;

17. अपीलार्थी के द्वारा विनिर्माण कार्य करने सम्बन्धी बिन्दु पर तथ्यात्मक जांच आवश्यक होने से कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किया गया तब यह पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जो ऑडिट रिपोर्ट एवं Manufacturing Expenses के शीर्षक के तहत खर्च बताये गये हैं, उसमें पत्रावली के पृष्ठ संख्या 70 पर सभी तरह के खर्च माईनिंग के कन्ज्यूमेबल गुड्स, रॉयल्टी, पॉवर एवं फ्यूल, डीजल, ऑयल, ट्रक एवं डम्पर्स एवं माईनिंग मशीनों के ही खर्च बताये गये हैं, जिससे प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा माईनिंग का कार्य किया गया है।

18. अपीलार्थी की ओर से उसका कार्य निर्माण होने सम्बन्धी जो यह तर्क दिया गया है कि माईन्स से ब्लॉक्स निकालने के बाद उसे प्रोसेस किया जाता है अतः उसे विनिर्माण माना जाये, उचित नहीं है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा माल

के जो फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किये गये थे वे पत्रावली में रखे गये हैं उनके अवलोकन पर प्रमाणित होता है कि अपीलार्थी द्वारा माल को खानों से खनन करके उसको विभिन्न मशीनों से बाहर निकालकर बड़े साईज से छोटी साईज में कट किया जाता है। इस तरह खानों से निकाले गये बड़े ब्लॉक्स को परिवहन योग्य करने के लिये छोटे ब्लॉक में काटा जाता है जो किसी भी स्थिति में विनिर्माण कार्य की परिभाषा में सम्मिलित योग्य नहीं है। अपीलार्थी का यह कथन कि यह बड़े ब्लॉक की कटिंग करके छोटे ब्लॉक बनाना भी विनिर्माण है, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि अधिनियम की धारा 2(22) में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी तरह की प्रोसेसिंग जो कि एक नई वाणिज्यिक वस्तु अस्तित्व में लाते हैं अर्थात् जिस वस्तु से नई वाणिज्यिक वस्तु बनाई जाती है वह उसके कच्चे माल से या पूर्व में अस्तित्व में माल से अलग वाणिज्यिक वस्तु होनी चाहिये जबकि अपीलार्थी के द्वारा माईनिंग से ब्लॉक निकाले जाते हैं और उनकी कटिंग करने से कोई नई वाणिज्यिक वस्तु निर्मित नहीं होती है। अतः अपीलार्थी का यह तर्क कि वह एक निर्माता है एवं निर्माण के लिये अधिनियम की धारा 18 के तहत केपिटल गुड्स के रूप में आई.टी.सी. का क्लेम देय है विधिसम्मत नहीं है। अधिनियम की धारा 2(7) में केपिटल गुड्स वे ही माने गये हैं जो कि विनिर्माण की प्रक्रिया में प्लान्ट मशीनरी एवं पार्ट के रूप में काम में आती है। अपीलार्थी द्वारा चूँकि विनिर्माण का कोई कार्य नहीं किया जाता है ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 18 के अनुसार आई.टी.सी. अनुज्ञेय नहीं है। अपीलार्थी द्वारा केवल उत्खनन का कार्य किया जाता है एवं उत्खनन के लिये खरीद की गई मशीनरी पर क्लेम की गई आई.टी.सी. अपीलार्थी को देय नहीं है। इस तरह तथ्यात्मक एवं विधिक दोनों ही आधारों पर अपीलार्थी को धारा 18 के तहत आई.टी.सी. का क्लेम प्राप्त योग्य नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निम्नांकित निर्णयों में यह अवधारित किया जा चुका है कि माईनिंग के कार्य के लिये प्रयुक्त मशीनरी की खरीद पर आई.टी.सी. देय नहीं है -

(1) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर बनाम सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त, उदयपुर (2014) 38 टैक्स अपडेट 278

(2) एशियन माईनिंग एसोसियेशन बांसवाड़ा बनाम सहायक आयुक्त, बांसवाड़ा (2014) 39 टैक्स अपडेट 293

(3) वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन-द्वितीय, राजस्थान बनाम बिनानी सीमेंट सिरोही (2014) 40 टैक्स अपडेट 13

(4) अशोका मिनरल्स उदयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी विशेष वृत्त, उदयपुर 40 टैक्स अपडेट 156



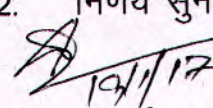

लगातार.....9

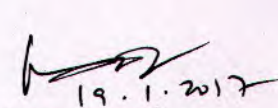
19. प्रकरण में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त आधारों में यह अंकित किया है कि उनके द्वारा कुछ माल जो कि फिनिश गुड्स के साथ खरीद किया गया है एवं कुछ माल पैकिंग मैटेरियल के रूप में खरीद किया गया है उसका आई.टी.सी. क्लेम भी नहीं दिया गया है जिसके लिये उनके द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष संशोधन आवेदन भी किया जाना बताया, जिसकी प्रति भी साथ में प्रस्तुत की है। इस सम्बन्ध में यह अंकित करना उचित है कि यदि कोई माल राज्य के भीतर खरीद किया जाकर उसकी बिक्री की जाती है तो अधिनियम की धारा 18 में आई.टी.सी. का क्लेम लेने का हकदार है परन्तु पैकिंग मैटेरियल की खरीद के सम्बन्ध में जो लिस्ट दी गयी है उसकी जांच संशोधन प्रार्थना-पत्र का निस्तारण करते समय कर निर्धारण अधिकारी को की जानी है कि क्या वह माल ब्लॉक के विक्रय में पैकिंग मैटेरियल के रूप में अपीलार्थी द्वारा उपयोग हो रहे हैं अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में चूंकि संशोधन प्रार्थना-पत्र कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है, अतः उसका निस्तारण उन्हीं के द्वारा किया जाना है अतः इस सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी को नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश दिये जाते हैं।

20. उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलीय आदेशों में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है अतः उसकी पुष्टि की जाती है तथा अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती हैं।

21. उपरोक्तानुसार अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार की जाती है।

22. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य


(मदन लाल)
सदस्य